

20/17

पत्रावली पेश हुई। वकील फारुख
उपस्थित। वकील अग्रार्थों को जवाब
प्रदान नहीं करना चाहते। वकील अग्रार्थों
हैं वकील अग्रार्थों की वजह
सुनी गई। वकील अग्रार्थों ने वजह में
बताया कि अग्रार्थों उनके अग्र अर्थ

S.D.C.

18/17

पत्रावली पेश की। गुणवत्ता फारुख
उपस्थित। वकील अग्रार्थों को जवाब
प्रदान नहीं करना चाहते। वकील अग्रार्थों
हैं वकील अग्रार्थों की वजह
सुनी गई। वकील अग्रार्थों ने वजह में
बताया कि अग्रार्थों उनके अग्र अर्थ

S.D.C.

24/17

पत्रावली पेश की। गुणवत्ता फारुख
उपस्थित। वकील अग्रार्थों को जवाब
प्रदान नहीं करना चाहते। वकील अग्रार्थों
हैं वकील अग्रार्थों की वजह
सुनी गई। वकील अग्रार्थों ने वजह में
बताया कि अग्रार्थों उनके अग्र अर्थ

S.D.C.

12/17

पत्रावली पेश हुई। S.D.C. Sb...
में होने से पत्रावली दिनांक 6/2/18
को पेश है।

अग्रार्थों से
सिद्ध

6/18

पत्रावली पेश हुई। वकील फारुख
उपस्थित। वकील अग्रार्थों को जवाब
प्रदान नहीं करना चाहते। वकील अग्रार्थों
हैं वकील अग्रार्थों की वजह
सुनी गई। वकील अग्रार्थों ने वजह में
बताया कि अग्रार्थों उनके अग्र अर्थ

S.D.C.

देवजी, अमरा, कमजी, दुर्जी एवं बहन कुली की गांव पलकोल.
 खडा पत्वार हल्का कोलखंडा में खसरा नं. 507 रकबा 9 बिघवा
 भूमि स्थित है जिसके संबंध में इस न्यायलय में फलवादा
 विचयधीन है जिसमें शर्मा के सम्पत्ता मिलने की पूर्ण सम्पत्ता
 है, शर्मा उक्त खसरा नं. 507 का आवधिकार है एवं कब्जा
 भी उनका चला आ रहा है इसलिए शायदिक रूप से सम्पत्ता
 मिलने की पूर्ण सम्पत्ता है साथ ही कब्जा होने से सुविधा
 का संतुलन भी उसके पक्ष में है। उक्त खसरे पर अशर्मागण
 जबरन कब्जा करना चाहते हैं इसलिए उनके विरुद्ध अलार्ड
 निवेदादा जारी की जाने अन्याय उसके अपूरणीय क्षति
 होगी। वकील अशर्मागण इस दियेने बहस बनाया गया
 कि ग्राम पलकोलखंडा के खसरा नं. 507 रकबा 9 बिघवा
 बाबत शर्मा के पक्ष में अलार्ड निवेदादा जारी की जाती है।
 तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रहलादी में संलग्न शर्मा पक्ष, ^{का अशर्मागण} इत्यादि एवं अन्य पक्षों
 की बहस पर मनन किया। प्रहलादी में संलग्न ग्राम पलकोल
 खडा पत्वार हल्का कोलखंडा की प्लान-ही संवत्, 2066-2069
 की हया शर्मा अमुला (खसरा नं. 507 रकबा 9 बिघवा) का शर्मा
 एवं उनके भद्र बहन बहिदा है। वकील अशर्मागण इस भी शर्मा
 के पक्ष में अलार्ड निवेदादा जारी किये जाने में अनापत्ति पाठीर
 की गई है। किसी स्थिति में अलार्ड निवेदादा जारी करना
 उचित सम्पत्ता है।

अतः शर्मा पक्ष शर्मा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि
 ग्राम पलकोलखंडा पत्वार हल्का कोलखंडा के खसरा नं. 507 रकबा
 9 बिघवा पर अशर्मागण हस्त वाद का फैसला होने तक अतिरिक्त
 नहीं करे, नही शर्मा की बेहखुशको अथवा फलवादा से सेके।
 प्रहलादी प्रियत शुमार दोन नाम पर लेखन की जावे।

5006/2/18